संख्या-119/2017/1482/69-1-17-14(18)/2017

प्रेषक,

राम नेवास,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 04 दिसम्बर, 2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0एल0टी0सी0) के गठन हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2464/76/एक/2017-18, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) योजनान्तर्गत" चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0एल0टी0सी0) के गठन हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में क्रमश: रू0 783.00 लाख व रू0 51.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-88/2017/536/69-1-17-14(18)/2017, दिनांक 05 जून, 2017 द्वारा जारी की गई थी, जिसका आहरण कोषागार से नहीं किया गया है। उक्त शासनादेश व वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत नई मॉग के माध्यम से आवंटित बजट के लेखाशीर्षक के मदों में अन्तर होने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से न हो पाने के फलस्वरूप उक्त शासनादेश संख्या-88/2017/536/69-1-17-14(18)/2017, दिनांक 05 जून, 2017 को निरस्त करते हुए "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी मिशन) योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) के गठन हेतु रू0 783.00 लाख (रूपये सात करोड़ तिरासी लाख मात्र) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0एल0टी0सी0) के गठन हेतु रू0 51.00 लाख (रूपये इक्यावन लाख मात्र) की धनराशि की, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या-866/2016/2916/69-1-16-14(139)/2015टीसी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-88/2017/536/69-1-17-14(18)/2017, दिनांक 05.06.2017 द्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में सूडा द्वारा कोषागार से अनाहरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी तथा योजना की गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त योजनान्तर्गत सिटी लेबल टेक्निकल सेल (सी0एल0टी0सी0) व स्टेट लेबल टेक्निकल सेल (एस0एल0टी0सी0) के गठन/पदों के सृजन आदि से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् ही स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त भुगतान की वास्तवित आवश्यकता के दृष्टिगत ही मासिक आवश्यकता के अनुरूप धनराशि का आहरण राजकोष से किया जायेगा और उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
6. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकता के अनुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
14. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनायें-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन (के0-60/रा0-40-के0)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या यू0ओ0-ई-8-1510/दस-2017, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम नेवास) 11/17

विशेष सचिव।

संख्या-119 /2017/1482(1)/69-1-17-14(18)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. अनु सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in